2003.

म०प्र० शासन वन विभाग

क/रामिति/04/2003/2015 भोपाल दिनांक 5.04.2003

//316

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(उत्पादन)

भोपाल ।

:— काष्ठागारों में वनोपज के विक्रय की स्वीकृति के संबंध में।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 19/02/2003 (अ प्र मु व सं उ विषय क्रमांक–5) में लिये गए निर्णय के अनुसार काष्ठागारों में वनोपज के विक्रय की राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :–

साल लट्ठों के विक्रय हेतु अधिकारियों को निम्नानुसार विक्रय स्वीकृति के अधिकार प्रदाय किये हैं –

नीलाम का क्रम	वनमण्डलाधिकारी	वनसंरक्षक
प्रथम नीलाम	निरंक	निरंक
द्वितीय नीलाम	10 प्रतिशत	सम्पूर्ण अधिकार

समिति के पूर्व आदेश क्रमांक रा.मि./8/2000/420 दिनांक 5.8.2000 में उल्लेखित बल्ली/डेंगरी में सागौन,साल,बल्ली/डेंगरी तथा सतकटा काष्ठ में मिश्रित जलाऊ तथा सागौन जलाऊ चट्टे भी सम्मिलित माने जावेंगे ।

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/रामिति/11/2002/974 दिनांक 23. 2002 की कंडिका 14.2 में सागौन साल लट्ठों के विषय में लागू किये गये आदेशानुसार प्रथम नाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधी बिक्री की व्यवस्था समस्त प्रजाति समस्त ल.. तथा साल प्रजाति के लट्ठों के लिये भी लागू की जाये ।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के०पी० सिंह)

पदेन उप सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग

297
18/4/03

4683
28/4/03

वन विभाग

1	2	3	4	5
		वन विभाग के संबंध में वित्तीय शक्ति		
1.	भण्डार, औजार एवं उपकरण का क्रय	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण शक्तियां	खर्च की नवीन मद के अधीन
		2. मुख्य वन संरक्षक	रु. पांच लाख तक	
		3. वन संरक्षक	रु. तीन लाख तक	
		4. संभागीय वन अधिकारी	रु. एक लाख तक	
		5. उप संभागीय वन अधिकारी	रु. दस हजार तक	
*2.	टेन्ट का क्रय	1. वन संरक्षक	रु. एक लाख तक	–
		2. संभागीय वन अधिकारी	रु. पचास हजार तक	
[redacted]	सड़क एवं भवन निर्माण पर खर्च की मंजूरी	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण शक्तियां	वैयक्तिक कार्य को लागू तथा ही साथ उसी प्रकार के यदि एक साथ लिये जाएँ तो समूह कार्यों को।
		2. मुख्य वन संरक्षक	प्र.प्र. में रु. 7 लाख तक	
		3. वन संरक्षक	प्र.प्र. में रु. 5 लाख तक	
		4. संभागीय वन अधिकारी	प्र.प्र. में रु. 2 लाख तक	
4.	तकनीकी पुस्तकें तथा तकनीकी नियतकालिक पत्रिकाओं का क्रय	1. वन संरक्षक	प्रति वर्ष रु. 5,000 तक	–
		2. संभागीय वन अधिकारी	प्रति वर्ष रु. 3,000 तक	
5.	भण्डार का वसूल न होने योग्य मूल्य तथा लोक धन की हानियों के अपलेखन की शक्ति	1. वन संरक्षक	रु. दस हजार तक	वित्तीय अधिकार पुस्तक, 1995 जिल्द एक के खण्ड एक आयटम 35 में उल्लेखित शर्तों के अधीन।
		2. संभागीय वन अधिकारी	रु. दो हजार तक	

*स.क्र. 2 एवं 3 में म.प्र. सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. एफ 11-48-2003-एक-9, दिनांक 19-1-2004 द्वारा शब्द "जिला योजना समिति" तथा "चेयरमैन जिला योजना समिति" विलोपित तथा पूर्व में प्रदत्त शक्तियां बहाल।

1	2	3	4	5
6.	वसूली के अयोग्य राजस्व के अपलेखन की शक्ति	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 20,000	वित्तीय अधिकार पुस्तक, 1995 जिल्द एक के खण्ड एक आयटम 35 में उल्लेखित शर्तों के अधीन।
		2. मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 10,000	
		3. वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 5,000	
		4. संभागीय वन अधिकारी	प्रत्येक प्रकरण में रु. 2,000	
7.	वसूली अयोग्य अग्रिमों का अपलेखन	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 5,000	वित्तीय अधिकार पुस्तक, 1995 जिल्द एक के खण्ड एक आयटम 35 में उल्लेखित शर्तों के अधीन
		2. मुख्य वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 2,000	
		3. वन संरक्षक	प्रत्येक प्रकरण में रु. 1,000	
		4. संभागीय वन अधिकारी	प्रत्येक प्रकरण में रु. 500	
8.	राजस्व वापसी की मंजूरी	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	रु. पांच लाख तक	
		2. मुख्य वन संरक्षक	रु. दो लाख तक	
		3. वन संरक्षक	रु. एक लाख तक	
		4. संभागीय वन अधिकारी	रु. 25,000 तक	
[redacted]	वापसी का करार निष्पादित करना–			
	(1) वन विभाग द्वारा सामग्री का प्रदाय करने के लिये	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पूर्ण शक्तियां	
		2. मुख्य वन संरक्षक	रु. 25 लाख तक	
		3. वन संरक्षक	रु. 10 लाख तक	
		4. संभागीय वन अधिकारी	रु. 5 लाख तक	
	(2) वन विभाग को सामग्री प्रदाय करने के लिए	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	रु. 25 लाख तक	
		2. मुख्य वन संरक्षक	रु. 15 लाख तक	
		3. वन संरक्षक	रु. 10. लाख तक	
		4. संभागीय वन अधिकारी	रु. 5 लाख तक	

1	2	3	4	5
19.	विभागीय संविदा या एजेंसी के मार्फत निष्पादित निर्माण कार्यों का प्रशासकीय एवं तकनीकी अनुमोदन	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक 2. मुख्य वन संरक्षक 3. वन संरक्षक 4. संभागीय वन अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ रु. सात लाख तक रु. पाँच लाख तक रु. दो लाख तक	
20.	अस्थाई सड़कों तथा भवनों के निर्माण की मंजूरी	1. वन संरक्षक 2. संभागीय वन अधिकारी	रु. 25,000 तक रु. 10,000 तक	
21.	सॉ मिल प्लांट तथा अन्य मशीनरी हेतु पुर्जों का क्रय एवं मरम्मत की मंजूरी	1. संभागीय वन अधिकारी 2. उप खण्ड अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ रु. दस हजार तक	
22.	वन उपज का विक्रय तथा परिवहन हेतु संविदा की मंजूरी	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक 2. मुख्य वन संरक्षक 3. वन संरक्षक 4. संभागीय वन अधिकारी	रु. दस लाख तक रु. आठ लाख तक रु. पाँच लाख तक रु. तीन लाख तक	
*23	वन्य श्रमिक सहकारी समितियों/ ग्रामीण वन समितियों/ग्राम सुरक्षा समितियों को वन ठेकों की मंजूरी	1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक 2. मुख्य वन संरक्षक 3. वन संरक्षक 4. संभागीय वन अधिकारी	रु. दस लाख तक रु. आठ लाख तक रु. तीन लाख तक रु. एक लाख तक	
24.	वन्य जीवन से संबंधित सहित वन अधिनियम, 1927 (XVI of 1927) के अधीन अपराधों के मामले में मुखबिरों को इनाम	संभागीय वन अधिकारी	रु. 1,500 तक	

*क्र.क्र. 23 में म.प्र. सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. एफ 11-48-2003-एक-9, दिनांक 19-1-2004 द्वारा शब्द "जिला योजना समिति" विलोपित तथा पूर्व में प्रदत्त शक्तियां बहाल।

1	2	3	4	5
*25	वर्कमेन कम्पेंसेशन अधिनियम, 1923 (VIII of 1923) के अधीन मुआवजे के भुगतान की मंजूरी	1. वन संरक्षक 2. संभागीय वन अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ प्रत्येक मामले में रु. 5,000 तक	जहाँ यह विनिश्चित किया गया हो कि श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं की जाना है।

Note (1) The Additional Chief Principal Conservators of Forest shall exercise same financial powers as Principal Chief Conservator of Forests subject to work distribution.

Note (2) All Chief Conservator of Forests shall exercise financial powers of the Head of Department given in Book of Financial Powers, Vol. I, subject to work distribution.

Note (3) The powers of Chief Conservator of Forests, Conservator of Forests and Divisional Forest Officer shall also be exercised by officers of equivalent rank in the Madhya Pradesh Forestry Project, Project tiger, National Parks Working Plan Officers, depot sales office (New Delhi) and training institutions of the department.

*क्र.क्र. 25 में म.प्र. सा.प्र.वि. अधिसूचना क्र. एफ 11-48-2003-एक-9, दिनांक 19-1-2004 द्वारा शब्द "जिला योजना समिति" विलोपित तथा पूर्व में प्रदत्त शक्तियां

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

अधिसूचना क्रमांक 2343–2751–दस–3–89, भोपाल दिनांक 30 मई 1989

(मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 30 जून 1989 में प्रकाशित)

स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम :

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार विभागीय रूप से काटी गई और/ या संग्रहित की गई इमारती लकड़ी जलाऊ लकड़ी तथा/ या संग्रहित लकड़ी के कोयले के विभिन्न लाटों का विक्रय वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी वन मंडल, ... द्वारा दिनांक ..... को बजे ..... से आरंभ करते हुए और यदि आवश्यक हुआ तो अगले ..... दिनों को ..... बजे तक सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जावेगा।

नीलाम के समय घोषित या अनुरोध पर पूर्व में उपलब्ध कराई गई इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है। इसलिये बोली लगाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान करने की दृष्टि से उस लाट या उन लाटों का, जिसके लिये/ जिनके लिये वे बोली लगाना चाहते हैं, स्थल पर निरीक्षण कर लें। अनुरोध करने पर लाटों और मापों के ब्यौरे संबंधित उप वन मंडलाधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी/ डिपो अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाए जाएं तो राज्य शासन के विरूद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिए कोई भी दावा नहीं होगा।

नीलाम की शर्तें :

1 (क) किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिए बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह उसकी शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने हस्ताक्षर न करे और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो, उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000 रूपये, इनमें से जो भी अधिक हो, की बयाने की राशि जमा न कर दे। बोली लगाने वालों को यह अनुमति दी जा सकेगी कि यदि वह नीलामी के दौरान पहले ही जमा की गई 10 प्रतिशत राशि द्वारा अनुमति–सीमा से अधिक की बोली लगाना चाहते हों, तो बयाने की राशि में और राशि जमा कर सकें।

(ख) असफल बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा रकम नीलामी समाप्त होने पर, उन्हें उसके लिये सम्यक रूप से टिकट लगी रसीद देने पर वापस लौटा दी जायेगी। सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में, जैसा कि निम्नलिखित शर्त 2 (क) के अधीन अपेक्षित है, समायोजित कर ली जाएगी।

2 (क) (एक) बोली स्वीकृत होने के तत्काल बाद या नीलामी की तारीख से सात दिवस के भीतर (नीलाम की तारीख को छोड़कर) जो भी वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी द्वारा स्वविवेक से अनुमत किया जावे, सफल बोली लगाने वालों को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए, मांग जमा रसीद बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए रेखित बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी ..... वन मंडल के पक्ष में आहरित होगा, भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1 (क) के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूककर्त्ता बोली लगाने वाले की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलामी की जावेगी।

2 (क) (दो) उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्त्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती नीलामी में लाट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करे, तो वन संरक्षक, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 2 (क) (एक) के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम्पूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए विलंब की कालावधि के लिए उस पर ब्याज, स्थान भाड़ा तथा विक्रय मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर, विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। उसके पश्चात इन शर्तों के विभिन्न खंडों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं, जो विक्रय को विनियमित करती हों, की गणना नीलामी की तारीख से की जावेगी।

वसूली योग्य ब्याज की दर तथा उसकी गणना की पद्धति नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिए अनुसार होगी।

स्थान भाड़ा नीचे दी गई शर्त 14 (क) के अनुसार वसूली योग्य होगा।

2 (ख) (एक) बोली की शेष 75 प्रतिशत राशि क्रेता द्वारा बोली की मंजूरी की तारीख से (मंजूरी की तारीख को छोड़कर) जो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी द्वारा उसे लिखित रूप में पंजीयत डाक से संसूचित की जावेगी, 45 दिन के भीतर भुगतान की जायेगी।

तथापि अपवादित मामले में वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी, क्रेता द्वारा निवेदन किये जाने पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 45 दिन की अवधि को, नीचे दी गई शर्त 2 (ख) (दो) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर, 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा। यदि 45वें एवं 75वें दिन अवकाश होता है तो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी अगले कार्य दिवस तक अवधि बढ़ा सकेगा। साथ ही यदि कोई आवेदन पत्र समय वृद्धि हेतु 45वें दिन के अंदर या 45वें दिन का शासकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस तक प्राप्त नहीं होता है तो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी को उक्त दिवस के अगले दिनांक को विक्रय निरस्त करना बंधनकारी होगा।

बोली की शेष राशि का भुगतान वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी की मांग जमा रसीद, (Call Deposit Receipt) बैंकर्स चेक द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा उसकी स्थानीय शाखा के नाम जारी किए गए रेखित बैंक ड्राफ्ट (Crossed Bank Draft) जो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी, ... वन मंडल के पक्ष में आहरित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

2(ख) (दो) यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष राशि पर 46वे दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से या समय समय पर पुनरीक्षित दर से ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में तथा 15 दिन से अधिक दिनों की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जाएगी ।

2 (ग) (एक) उपर्युक्त शर्त 2 (क) तथा (ख) के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) एवं मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम 2006 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान ~~योग्य विक्रय कर~~, वन विकास उपकर तथा ~~अन्य समस्त करों की वसूली~~ विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जायेगी।

2 (ग) (दो) फायनेन्स एक्ट 1988 की नवीन प्रतिस्थापित धारा 206 सी एवं 44 ए.सी. के प्रावधानों के अनुसार जो कि 1 जून 1988 से प्रभावशील है, खरीददारों से विक्रय मूल्य पर आयकर भी वसूल की जावेगी।

2(ग)(तीन) उपर्युक्त शर्त खण्ड (2) (क) तथा (ख) के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा, जब तक उक्त उप खण्ड 2 (ग) (एक) एवं 2 (ग) (दो) के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य विक्रय कर, आयकर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया ~~गया होन~~

2 (ग) (चार) क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्वों के लिए भी, यदि कोई हों, जिनमें इन शर्तो के अधीन उसे बेचे गए माल पर वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य विक्रय कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है, उत्तरदायी होगा। ऐसे भुगतान वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी द्वारा लिखित में मांग की जाने के 15 दिन के भीतर करना होगा।

3. "किसी भी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से बोली लगाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित मुख्त्यार नामा, जो पंजीयक या उप पंजीयक कार्यालय से विधिवत पंजीकृत हो, और जिसके द्वारा उसे कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो, या उस फर्म का, जिसका भागीदारी होने का वह दावा करता है, पंजीयन प्रमाण पत्र वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता।

एक व्यक्ति को मुख्तार नामा प्रस्तुत करने पर केवल एक व्यक्ति या फर्म की ओर से नीलामी में बोली लगाने की अनुमति होगी।"

परन्तु यदि कोई व्यक्ति मुख्त्यारनामा प्रस्तुत किये बिना बोली लगाना चाहता है तो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट होने पर उन्हें नीलाम में बोली बोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दे सकेगा कि वह नीलाम की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर वांछित मुख्त्यारनामा प्रस्तुत करेगा, उक्त दी गई अवधि अर्थात् एक सप्ताह की समाप्ति के पूर्व यदि वह मुख्त्यारनामा प्रस्तुत नहीं करता तो विक्रय रद्द किया जावेगा तथा शर्त क्रमांक–1(क) के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि शासन को समपहृत की जावेगी और चूककर्ता बोलीदार की जोखिम के बिना लाट की पुनः नीलामी की जावेगी।

4. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में बोली लगाने के लिये प्रतिबंधित किया गया हो , या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा।

5. वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसे कोई भी व्यक्ति जिस पर वन ठेकें के कारण या उसके अधीन शासन का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नहीं लगायेगा ।

6. वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी प्रत्येक लाट के लिए कोई आरक्षित मूल्य आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु जब, जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो।

7. वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी पूर्ववर्ती बोली पर प्रत्येक अग्रिम की न्यूनतम रकम निश्चित कर सकेगा और बोली के दौरान समय–समय पर इस प्रकार निश्चित की गई रकम को परिवर्तित कर सकेगा। बोली के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम अविवादस्पद बोली फिरसे तत्काल प्रारंभ की जावेगी।

8. वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार होगा–

(क) नीलाम की किसी भी अवस्था में किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने से रोक देने का।

(ख) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का।

(ग) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को स्वीकार करने का तथा किसी भी अवस्था में किसी भी लाट को नीलाम से वापस लेने का, भले ही बोली में लगाने वाले उसे खरीदने कके लिये तैयार हों ।

9. सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति, उसकी बोली स्वीकार कर लिए जाने के बाद, उसके पक्ष में बोली समाप्त किए गये लाट के संबंध में बोली पत्रक पर हस्ताक्षर करेगा तथा वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी को अपना डाक का पता लिखित रूप में देगा जिस पर उससे पत्र व्यवहार किया जा सके। सफल बोलीदार द्वारा उसके पते में हुए किसी भी

परिवर्तन की सूचना उसके द्वारा संबंधित वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी को दी जावेगी। सफल बोलीदार द्वारा दिये गये पते पर डाक प्रमाण पत्र के अधीन या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी गई सूचना के बारे में यह समझा जायेगा कि वह सम्यक रूप से सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को पहुंच गई है।

10. संभागीय वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेको के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली द्वारा तब तक आबद्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किए जाएं।

11. सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिस की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।

12. (क) यदि विक्रय मूल्य की शेष 75% राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 2 (ख) तथा (ग) के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य विक्रय–कर एवं आयकर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जाये तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25% शासन को समपहृत हो जायेगा। व्यतिक्रयकर्ता को तीन वर्षो की कालावधि के लिये काला सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लाट का नीलाम व्यतिक्रयकर्ता की जोखिम के बिना पुनः किया जावेगा।

12(ख) यदि बोली की रकम की शेष 75% राशि का भुगतान न करने क कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और अगले उच्चतर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट जो जाये कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेखबद्व किये जायेंगे, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर उस राशि का भुगतान करने में असमर्थ था, तो ऐसा प्राधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्व भुगतान और विक्रय मूल्य के 5% के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा।

13 (क) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ लकड़ी के कोयले को हटाने की अनुमति तब तक नही दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्र. 2 में दिये अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 14 के अधीन स्थान भाड़ा तथा शासन का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। लाट/ लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नही दी जावेगी। डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/ कोयला ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहां इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला निरीक्षण के लिये तथा लकड़ी उस पर निकासी हैमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी।

13 (ख) बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ कोयले का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा।

13 (ग) डिपो से हटाई जाने वाली समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ कोयला संबधित डिपो अधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी से इस प्रायोजन के लिये प्राप्त किए जाने वाले सम्यक रूप से विहित परिवहन अनुज्ञापत्र (परमिट) के अन्तर्गत होगी।

13 (घ) क्रेता डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/ कोयला को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्स्चर्स तथा फिटिंग्स वनोपज अथवा वहां खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्याकंन, जो कि वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जावेगा, अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

14 (क) यदि बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला उपर्युक्त शर्त क्र. 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा :–

60 days

1.	इमारती लकड़ी	–	5.00 रूपये दिन प्रति घनमीटर
2.	जलाऊ लकड़ी	–	25.00 रूपये प्रति स्टेंडर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह
3.	कोयला	–	5.00 रूपये प्रतिबोरा प्रति माह

मंजूरी की सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी।

तथापि, अपवादित मामलों में वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी अपने स्वविवेक से, स्थान भाड़े की वसूली किए बिना, मंजूरी की सूचना की तारीख से चार माह की अधिकतम अवधि में, डिपो से बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाने की अनुमति दे सकेगा, बशर्ते कि लाट की नीलामी के समय ऐसी घोषणा की गई हो और बोली पत्रक अभिलिखित की गई हो। जलाऊ लकड़ी/कोयला के लिए भूमि भाड़ा की गणना करने के लिए 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

14 (ख) डिपो से बेची गई तथा खरीदी गई समस्त इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला मंजूरी की संसूचना तारीख से दो माह की अवधि के भीतर हटाई जायेगी। यदि कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाये जाने की स्थिति में न हो, तो उसे स्थान भाड़ा का भुगतान करने पर, मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को, केवल आपवादिक मामलों में मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भार साधक अधिकारी.....वृत्त .....की विशेष अनुज्ञा से,

जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाई गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयले के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक शास्ति उदग्रहित कर सकेगा, इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/कोयला हटाने की अनुमति दी जा सकेगी।

चार माह की अवधि या ऐसी अवधि, जो मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भार साधक अधिकारी .....वृत्त.....द्वारा बढ़ाई हो, के समाप्त हो जाने के पश्चात् विक्रय मूल्य सहित शासन को समपहृत हो जावेगा तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

15. वन विभाग, विक्रय की गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस एवं अन्य की किसी प्रकार की क्षति और हानि के लिए और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिए किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नही करेगा। विक्रय के बाद डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/कोयला पूर्णतः केता की जोखिम पर रहेगा ।

16. (क) वन मार्गो पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिए वन संरक्षक/वनमण्डल के भार साधक अधिकारी से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा :–
(एक) 400 रूपये तिमाही प्रति वाहन, अथवा
(दो) 20 रूपये प्रति वाहन प्रति ट्रिप, एक तरफ की एक खेप के लिए

16. (ख) तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :–
(एक) प्रथम तिमाही एक अप्रैल से 30 जून
(दो) द्वितीय तिमाही एक जुलाई से 30 सितम्बर
(तीन) तृतीय तिमाही एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर
(चार) चतुर्थ तिमाही एक जनवरी से 31 मार्च

17. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तो की पूर्ण और बिना शर्ते स्वीकृत समझा जावेगा।

18. मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम 1969, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उपबंध तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, जिसमें वन संविदा (कांट्रेक्ट) नियम शामिल है, जहां तक कि वे लागू हों, सफल बोली लगाने वाले /क्रेता पर विक्रय की शर्तो के रूप में लागू होगें।

19. इन शर्तो के अधीन बोली लगाने वाले से किसी भी कारण से वसूली योग्य राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

20. इन शर्तो के अधीन बेची गई जलाऊ लकड़ी/जलाऊ लकड़ी से विनिर्मित कोयले को मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निर्यात किया जायेगा। जलाऊ लकड़ी/कोयले के अनुवर्ती क्रेता को भी राज्य के बाहर जलाऊ लकड़ी/कोयले का निर्यात करने का अधिकार होगा।

20 (क)(i) किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लॉट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरान्त एवं क्रेता द्वारा परिदान आदेश प्राप्त कर, क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लॉट के

विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शातें हुये उक्त लॉट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वृत्त के भार साधक अधिकारी को होगा।

(ii) मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भार साधक अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत हाने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लॉट निरस्तीकरण, भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें,

20.(ख) मुख्य वन संरक्षक/वन वृत्त के भार साधक अधिकारी द्वारा शर्त 20 (क) (i) एवं 20 (क) (ii) में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरूद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उत्पादन–शाखा के भार साधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा।''

21. ऐसे किसी भी बोली लगाने वाले व्यक्ति या उसके किसी एजेन्ट या नौकर को, जो नीलामी की कार्यवाही के दौरान सार्वजनिक शांति या प्रशांति को बाधिक करता हो या वन अधिकारी के सार्वजनिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता हो या रोकता हो, नीलामी विक्रय में भाग लेने से वर्जित किया जा सकेगा, और उसके द्वारा किसी लाट के संबंध में जमा की गई बयाने की राशि, यदि कोई हो तो, मध्यप्रदेश शासन में समपृहित हो जाएगी, इसके अतिरिक्त उसका नाम तीन वर्ष की अवधि के लिए काली–सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।

22. इन शर्तो से उत्पन्न समस्त विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होगें।